

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-743) अलेसे-I/149

दिनांक:- 12/04/2023

आदेश

श्री रतन लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 2563), कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री रतन लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0 2563), कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर का नाम परिवर्तित कर, "श्री रतन लाल" के स्थान पर "श्री रतन चौधरी" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-743) अलेसे-I/150-157

दिनांक:- 12/04/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री रतन चौधरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)